न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 61/2016 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. श्री भीमा आत्मज श्री नारजी भील निवासी रूपगढ़ तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज0)
2. श्री खुमचन्द आत्मज श्री नारजी भील निवासी रूपगढ़ तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री वालचन्द आत्मज श्री नारींग भील निवासी रूपगढ़ तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज0)
2. सुश्री श्री कमलीन आत्मज नारींग भील निवासी रूपगढ़ तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी कुशलगढ़ दिनांक 12–07–2016 प्रकरण
संख्या 75/2009 वाद

———/———

उपस्थित :–1– श्री भगवतपुरी अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– रेस्पोन्डेन्ट अनुपस्थित

————————————

निर्णय **दिनांक 13–11–2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1, 2 व राधा बेवा नारींग द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध धारा–883, 188, व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वाद प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम रूपगढ़ स्थित आराजी नंबर 127 रकबा 1.92 एकड़ भूमि वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की है, जिस पर वादी शांतिर्पूक काबिज है। इस भूमि पर प्रतिवादी का कोई हक अधिकार नही है। वर्ष 2007 के आषढ़ माह में इस भूमि के पश्चिम दिशा की तरफा .

80 एकड़ यानि 2 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने नाजायज कब्जा कर लिया है। अतएव उक्त 2 बीघा भूमि के नाजायज कब्जे से हटवाया जाकर भविष्य के लिए स्थाई निषेधाज्ञा एवं अन्य उचित विधिक अनुतोष दिलवाया जाय।

प्रकरण दिनांक 24–7–2009 को अधिनस्थ न्यायालय में दर्ज हुआ। दिनांक 15–3–2010 को प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता ने उपस्थिति दी। दिनांक 24–1–2011 को जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश हुआ।। दिनांक 22–5–2013 को प्रकरण में तनकियात कायम की गई तथा प्रकरण शहादत वादी में दिनांक 22–5–2013 से लेकर दिनांक 29–2–2016 तक शहादत में लम्बित रहा तथा दिनांक 29–2–2016 को पत्रावली में आगामी तिथि 11–5–2016 तय की गई। दिनांक 11–5–2016 के स्थान पर पत्रावली दिनांक 12–7–2016 को न्याय आपके द्वारा कैम्प बस्सी में रखी जाकर निम्नानुसार संक्षिप्त एवं स्वेच्छिक निर्णय पारित कर दिया गया :–

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही	नम्बर व तारीख अहकाम की एवं हुक्म की ताकीद में जारी हुए
12–7–2016	**<u>न्यायालय आपके द्वारा 2016 कैम्प बस्सी</u>** **पत्रावली आज मजमेआम में पेश हुई। वाद वादी स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी ने काउण्टर क्लेम में बताया कि भूमि पुश्तैनी है तथा भू–प्रबन्ध से पहले के भू–प्रबन्ध संख्या 127 नंबर पड़ा है जिसमें सभी का वारिसान हक है। प्रतिवादीयां को पृथक से वाद लाने को समझाईश की गई। वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी हो। फर्द तुलनात्म्क एवं रियासत वाले रेकार्ड एवं शजरा प्रस्तुत करने का दायित्व प्रतिवादी का है न कि वादी का।** **ह0/–** **12–7–**	

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 12–7–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 5–9–2016 को पेश की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नाटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अपीलान्ट की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय नोन–स्पीकिंग अकारण एवं मनमकसूद है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना सूचना सरसरी निर्णय पारित कर दिया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में लोक अदालत की भावना से पृथक जाकर पक्षकारों की सहमति बिना प्रकरण में तनकीयात कायम होने के बावजूद साक्ष्य लिए बिना स्वेच्छाचारी निर्णय पारित किया है तथा अपीलान्ट/रेस्पोन्डेन्ट को अनावश्यक वादकरण की और विधि विरूद्ध धकेला है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–7–2016 तथ्यात्मक अथवा विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में कायम की गई तनकीयात के आधार पर उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर विधि पूर्वक सुनवाई कर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में 15–1–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13–11–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम .....
.**उदयपुर** व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्री मांगूलाल पिता श्री नानजी भील निवासी बोरखाबर तहसील व जिला बांसवाड़ा अन्य–1	बनाम	**श्री देवा पिता श्री रामा भील निवासी नांदरामाल तहसील बांसवाड़ा अन्य–5 व सरकार**

अपील नं0 **18/2015** बनाराजगी डिगरी अदालत ..... **उपखण्ड अधिकारी**. ..... **घाटोल** ..... मुकाम मुक्र्खे.....**13**..... माह .....**03**..... **2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ..... **27**..... माह .....**06**..... सन् **2017** रूबरू... पक्षकारान व हाजरी बवक्त बहस ....**श्री आर. के. जैन** ..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री राजकीय अधिवक्ता** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13–03–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**25**..... माह ...**07**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ..... 2. स्टाम्प वकालत नामा..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।